

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी - बिन्दू बाला राजावत, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-312/2010

दायर दिनांक :-17/02/2010

निर्णय दिनांक :-30/03/2026

अनवान्

1. छोगालाल पिता कालु जाट निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
2. उदयराम पिता घलाजी जाट निवासी माताजी का खेडा तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. अब्दुल मजीद उर्फ अब्दुल समर आत्मज मुनव्वर खांजी मुसलमान पठान निवासी राजनगर तहसील राजसमन्द
2. शमशाद बेगम पत्नि मुनव्वर खांजी मुसलमान पठान निवासी राजनगर तहसील राजसमन्द के बजाय
2/1 मनोहर खा उर्फ मुनव्वर खां मुसलमान पठान
2/2 अब्दूल समद उर्फ अब्दुल मजीद उर्फ बेहराम खान मुसलमान पठान
2/3 अखलाख खान पिता मुनव्वर खां मुसलमान पठान
2/4 शब्बीर खा पिता मुनव्वर खां मुसलमान पठान
2/5 शमीम बेगम पिता मुनव्वर खां मुसलमान पठान
2/6 शकीला बेगम पिता मुनव्वर खां मुसलमान पठान
2/7 शहनाज बेगम पिता मुनव्वर खां मुसलमान पठान
2/8 साईन बेगम पिता मुनव्वर खां मुसलमान पठान
3. बशीर खां पिता मीर खां उर्फ भुरे खां मुसलमान
4. महेश चंद्र पिता मगनीराम ब्राह्मण मेनारीया निवासी पिपावास के बजाय
4/1 सुरेश चंद्र पिता महेश चंद्र ब्राह्मण मेनारीया
4/2 बसन्तीबाई पति महेश चंद्र ब्राह्मण मेनारीया
4/3 बिटल पिता महेश चंद्र ब्राह्मण मेनारीया
4/4 जगु पिता महेश चंद्र ब्राह्मण मेनारीया
4/5 टीना पिता महेश चंद्र ब्राह्मण मेनारीया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

वादी की ओर से -एस0 के0 मेहता,अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से -अक्षय पालीवाल,अधिवक्ता

दिनांक:- 30/03/2026

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

वाद स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं राजस्व अभिलेख में अंकन कराये जाने

— :: निर्णय :: —

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्वत्व घोषणा, तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि गांव पीपावास में खाता संख्या 186 आराजी संख्या 172, 818/172, 835/172 कुल किता-03 कुल रकबा 11-08 बीघा कृषि भूमियां स्थित है। वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमियां उक्त कलम संख्या 1 में अंकित आराजी संख्या 818/172 के बजाय खेवट खतोनी संवत 2053 से 2056 में 818/102 मूल से अंकित हो गया है। साबिक बंदोबस्ती नंबर 2 मी. के नये नंबर 172 रकबा 3।।।)4 पोने चार बीघा चार बिस्वा एवं आराजी नम्बर 835/172 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा अंकित हुए हैं। साबिक आराजी संख्या 2 रकबा 5 बीघा पूर्व खातेदारान स्व. चतुर्भुज पिता टेकचंद, भेरजी पिता जीवतराम, छगनलाल पिता दौलतराम, नारायण पिता नवलराम, औकार पिता हेमराज, किसन लाल पिता धनराज, घासीराम पिता जगन्नाथ, पन्नालाल पिता चतुर्भुज, मोतीलाल पिता वगतराम, प्यारचंद पिता जीवराज, शंकरलाल पिता काशीराम ब्राह्मण पानेरी निवासी वाना तहसील वल्लभनगर से बिल एवज 75 रूपये में श्री अब्दुल समद पिता मुनव्वर खां पठान निवासी राजसमंद ने मिति फागुण सुद 12 संवत 2020 को खरीद विक्रय पत्र बाजाबता स्टाम्प पर लिखाया जिसके पडौस पूर्व में - नंदामाली, मोहन, गोपूमाली, लालभील, व हरज्या भील की जमीन, पश्चिम- अम्बा मेघवाल व सोहनसिंह की जमीन, उत्तर- हरज्या भील व हेमा गुजर की जमीन दक्षिण- उदा माली की जमीन। उक्त कलम में अंकित पडौसी मध्य की जमीन को अब्दुल समद प्रतिवादी संख्या 1 ने बिल एवज 800 रूपयों में वादीगण को विक्रय कर कब्जा सौप दिया। विक्रय पत्र मिति चैत्र शुक्ला 14 दिनांक 01/04/69 को बाजाबता स्टाम्प पर निष्पादित कर पंजीबद्ध करा दिया। वादीगण तभी से निर्विधन निरन्तर काबिज हो, भूमियों का उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमियां नामान्तरकरण संख्या 165 से नामान्तरित हो गयी, किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का नाम भी उसके साथ अंकित हो गया है। साबिक आराजी संख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 2 शमशाद बेगम पत्नि मुनव्वर खां पठान ने भी 5 बीघा भूमि खरीदी। जिसका भी उसके नाम नामान्तरकरण संख्या 121 से भूमियां नामान्तरित हो गयी और उसने अपनी उक्त भूमि वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर कब्जा सौप दिया तभी से व निर्विधन निरन्तर काबिज हो उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 3 ने भी 5 बीघा भूमि खरीदी सिका नामान्तरकरण संख्या 122 से फसल हो गया, उसकी आराजी संख्या 818/172 है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित आराजीयात में प्रतिवादीगण का नाम अंकित हो गया है। इनमें से आराजी संख्या 172 एवं 835/172 वादीगण के नाम अंकित होनी चाहिये, और आराजी संख्या 818/172 प्रतिवादी संख्या 3 के नाम अंकित होनी चाहिये। वादीगण कास्तकार है, और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होने से भूमियां उनके नाम आ जाने की अवधारणा में रह गये, जबकि वादीगण ही लगान, पीलाई, आदि राजकीय शुल्क जमा कराते जा रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम भूमियां रह जाने से जानते हुए कि वादीगण को पूर्व में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दी और उनका ही कब्जा चला आ रहा है, फिर भी प्रतिवादी संख्या 4 जो भी भली प्रकार से उक्त तथ्य से वाकिफ होते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के साथ साजिश करके उक्त कलम संख्या 1 में अंकित आराजीयात के 213 हिस्सा का विक्रय पत्र लिखा, ऐसी वादीगण को जानकारी मिली है। उसका कोई कब्जा नहीं है। यह विक्रय पत्र आरम्भतः शून्य होकर वादीगण के मुकाबले प्रभावहीन है। वादीगण का वैकल्पिक निवेदन है कि वादीगण का संवत 2026 से लगातार निर्विधन निरन्तर कब्जा चले आते रहने से 12 वर्ष से अधिक का समय हो जाने से भी वादीगण का कब्जा प्रतिकूल धारण (एडवर्स पजेशन) भी परिपक्व हो गया है। प्रतिवादी संख्या 3 का राजस्व अभिलेख में अंकित आराजीयात संख्या 172 रकबा 3।।।)4 एवं आराजी संख्या 835/172 रकबा 3।)4 सवा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगर

तीन बीघा चार बिस्वा से कोई सरोकार नहीं है, और न उसका इन भूमियों पर ही कब्जा है, और न कभी रहा है। वादीगण के लिए अब आवश्यक हो गया है कि वह अपने स्वत्व की घोणा करवा भूमियां राजस्व अभिलेख में अपने नाम अंकित करा लेवे, और स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादीगण को प्रतिबंधित करवा लिया जाना आवश्यक हो गया है, अन्यथा वादीगण को भारी अपरिहाय क्षति होगी, भूमियों से वंचित होना पड सकता है, व अन्यान्य क्षति होगी, जिसकी पूर्ति अर्थ में कतई संभव नहीं होगी, तथा पासपर वेमनस्य बढ मुकदमे बाजी बढेगी। वाद कारण दिनांक 5/9/98 जब वादीगण को प्रतिवादीगण के षडयन्त्र की जानकारी हुई, तब बमुकाम पीपावास, उत्पन्न हुआ जो चालु है। पक्षकारान आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार के निवासी है, जायदाद आपके क्षेत्रान्तर्गत स्थित होने से इस वाद का श्रवणाधिकार आप न्यायालय को है। वाद मुल्यांकन एवं क्षेत्राधिकार की दृष्टि से 1.00.000 रुपये कायम कर पूरे निर्धारित न्याय शुल्क 3 रूपये पर अंदर अवधि प्रस्तुत है। वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वत्व घोषणा की डिक्री पारित कराई जावे कि आराजी संख्या 172 रकबा 3।।।)4 पोने चार बीघा चार बिस्वा एवं 835/172 रकबा 3।।)4 सवा तीन बीघा चार बिस्वा वादीगण के स्वत्व की घोषित की जाकर राजस्व अभिलेख में उनके नाम अंकित कराई जावें। प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराई जावे कि वे स्वयं उनके परिवार जन अभिकर्ता, नौकर, आदि कोई भी वादग्रस्त आराजियात संख्या 172 रकबा 3।।।)4 व 835/172 रकबा 3।।)4 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, न कोई बाधा ही खडी करे, और न ऐसे कृत्य अन्य से भी करवावे। वाद प्रतिवादीगण यदि वादीगण को बेदखल कर दे तो पुनः वादीगण को कब्जा दिलाया जाकर पूर्ववत स्थिति कायम कराई जावें। वाद व्याय, वकील महनताना, आदि वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें। प्रतिवादीगण 1 से 3 की ओर से जवाब दावा निम्न प्रकार है:- वादपत्र की कलम संख्या 1 स्वीकार है। वाद पत्र की कलम संख्या 2 के जवाब में उक्त कलम में वर्णित तथ्य वादी सिद्ध करावें। वादपत्र की कलम संख्या 3 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है। वाद पत्र की कलम संख्या 4 के जवाब में वादी का कहना कि साबिक आराजी संख्या 2 का रकबा कुल 5 बीघा हो, सर्वथा गलत है। उक्त साबिक आराजी संख्या 2 के पूर्व खातेदार होना स्वीकार है और उनसे अब्दूल समद का जमीन खरीदना स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 5 में वर्णित तथ्य सर्वथा गलत यह सर्वथा गलत है कि उक्त पडौसों के मध्य की भूमि को अब्दूल समद ने वादीगण को विक्रय किया हो और न ही अब्दूल समद भूमि विक्रय करने के लिये सक्षम था। जिस समय का विक्रय पत्र कहा जाता है, उस समय तो अब्दूल समद नाबालिंग था, ऐसी स्थिति में विक्रय का प्रश्न ही नहीं उठता और वादीगण का उपयोग करना सर्वथा गलत है, भूमि पर कब्जा ही प्रतिवादीगण का है। वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा, अगर ऐसा कोई विक्रय पत्र किसी से भी वादीगण ने करवा लिया है तो वह प्रतिवादी अब्दूल मजीद के मुकाबले अर्वध, शुन्य व प्रभावहीन होने से उससे वादीगण को कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं होते, ऐसा विक्रय पत्र प्रारम्भिक रूप से शुन्य होने के कारण उसको निरस्त कराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र की कलम संख्या 6 के जवाब में भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर होना व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम भी अंकन होना स्वीकार है, किन्तु राजस्व कर्मचारी की गलती का कहना अस्वीकार है। वाद पत्र की कलम संख्या 7 के जवाब में शमशाद बेगम ने भी 5 बीघा भूमि खरीदी, लेकिन यह गलत है कि उक्त भूमि उन्होंने वादीगण को विक्रय की हो और उसके आधार पर वादीगण का कोई कब्जा हो। वाद पत्र की कलम संख्या 8 के जवाब में प्रतिवादी संख्या 3 ने भी 5 बीघा भूमि खरीदना स्वीकार है और उसका नामान्तरकरण खुलना भी स्वीकार है। वाद पत्र की कलम संख्या 9 के जवाब में यह कहना सर्वथा गलत है कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात में प्रतिवादीगण का नाम गलत अंकित हो सर्वथा गलत है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर सही रूप से अंकित है और उन्होंने खरीदी है, इस आधार पर अंकित है। यह भूमि वादीगण के नाम किसी तरह अंकित नहीं हो सकती न वादीगण ने यह भूमि खरीदी है। यह कहना सर्वथा गलत है कि आराजी संख्या 818/172 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
नेरुपारा

नाम पर दर्ज होने का प्रश्न ही नहीं उठता, वादपत्र की कलम संख्या 10 सर्वथा गलत हैं। यह कहना सर्वथा गलत है कि वादीगण का भूमि पर कोई कब्जा हो, यह कहना भी सर्वथा गलत है कि वह किसी अवधारणा में रहा हो, यह कहना भी सर्वथा गलत है कि उन्होंने लगान व पिलाई इत्यादि जमा करवायी हो। वादपत्र की कलम संख्या 11 के जवाब में प्रतिवादी संख्या 1 तो नाबालिग था, ऐसी स्थिति में ऐसा कोई विक्रय पत्र जिसके आधार पर वादीगण को कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं होते न ही उनका कब्जा है, प्रतिवादी संख्या 4 को जो भी भूमि बेची है, वह बहैसियत खातेदार बेची है, हक अधिकार से बेची है और इसकी वादीगण को शुरू से जानकारी थी क्योंकि उनका कोई कब्जा नहीं था, इसलिये उन्होंने अपनी सहमति दी है। वादपत्र की कलम संख्या 12 सर्वथा गलत है, जब वादीगण का कोई कब्जा ही नहीं था तो प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न ही नहीं उठता, न ही प्रतिकूल कब्जे के लिये कोई विवरण इस वाद में दिया गया है, ऐसी स्थिति में अस्पष्ट वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिकूल कब्जे की कोई उपधारणा नहीं ली जा सकती, न ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई घोषणा की जा सकती हैं। वादपत्र की कलम संख्या 13 के जवाब में वादीगण का यह कहना गलत है, कि प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा नहीं हो, वादीगण का वादीगण का मौके पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है न कब्जा है और न ही वादीगण का उक्त भूमि पर कोई हक, अधिकार हैं। वादपत्र की कलम संख्या 14 में वर्णित तथ्य सर्वथा गलत है, वादीगण को कोई अपने हको की घोषणा कराने का अधिकार नहीं है, न ही निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है, न ही वादीगण को कोई क्षति है, न भूमि से वंचित होने का प्रश्न है, न अन्याय होने का प्रश्न है, न पूर्ति अर्थ में या अन्य प्रकार से असंभव है। वाद पत्र की कलम संख्या 15 के जवाब में दिनांक 5/9/98 को वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता। वाद पत्र की कलम संख्या 16 के जवाब में पक्षकारान न्यायालय आपके अधिकार क्षेत्र के निवासी होना स्वीकार है लेकिन वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का हो, यह तथ्य सर्वथा गलत होकर अस्वीकार हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 17 के जवाब में मूल्यांकन कम कायम किया गया है, वादी जिस तरह का अनुतोष चाहता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र को निरस्त कराना चाहता है, ऐसी स्थिति में उसको एडवेलोरम न्यायशुल्क अदा करना पड़ेगा जो न्यायशुल्क अदा नहीं किया है, ऐसी स्थिति में कानूनन यह वाद चलने योग्य नहीं है, वादी का वाद मय हर्जा खर्चा व विशेष हर्जा के खारिज फरमाया जावे। विशेष कथन इस प्रकार है:-साबिक आराजी संख्या 2 काफी लम्बा चौड़ा रकबा है, इसके साथ ही साबिक आराजी संख्या 2 मीन, जिसको वादी केवल 172 व 835/172 नम्बर बनना बताता है, उक्त आराजी संख्या 2 मीन से आराजी संख्या 99, 50, 51, 62, भी बनती है, लेकिन वादी ने जानबुझकर सारे तथ्यों को छिपाया है, ऐसी स्थिति में जब तक सम्पूर्ण आराजी संख्या 2 मीन के नम्बर देकर पूरा विवरण नहीं दे तब तक केवल मात्र यह कहकर कि 2 मीन के ये नम्बर बनते हैं और वाद प्रस्तुत कर दिया, जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। आराजी संख्या 2 मीन के कौन से हिस्से की भूमि विक्रय की है, यह कही नहीं बताया है, ऐसी स्थिति में यह वाद चलने योग्य नहीं हैं। मौके पर वादीगण का कोई कब्जा ही नहीं है, ऐसी स्थिति में भी बिना कब्जे के वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण ने यद्यपि वाद में अनुतोष स्वत्व घोषणा का चाहा है, परन्तु स्वत्व घोषणा तभी जारी हो सकती है, तब तक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने प्रतिवादी संख्या 4 बहैसियत खातेदारी किये गये विक्रय पत्र को निरस्त नहीं करा दिया जाये, तब तक वादीगण के पक्ष में किसी तरह की कोई स्वत्व घोषणा नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति में उक्त घोषणा से पहले विक्रय पत्र निरस्त कराना आवश्यक है, घोषणा कराने का अर्थ यह होगा कि विक्रय पत्र को निरस्त कराने के समतुल्य होगा और विक्रय पत्र निरस्त कराने के सम्बन्ध में अनुतोष केवल व्यवहार न्यायालय दे सकती है, इस कारण यह वाद इस न्यायालय के सभायत योग्य हैं। काउण्टर क्लेम निम्न प्रकार है:-ग्राम पीपावास पटवार हल्का गिल्लूण्ड तहसील रेलमगरा की सीमा में स्थित प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के खातेदारी आधिपत्य की निम्न भूमिया स्थित है। विवरण इस प्रकार है: आराजी संख्या 172 रकबा पौने चार बीघा चार बिस्वा, आराजी संख्या 818/172 रकबा सवा

5
सहायक क्लर्क
(उप खण्ड अधिकारी)

चार बीधा, आराजी संख्या 818/172 नवीन जमाबंदी में 818/102 अंकन हैं। 835/172 रकबा तीन बीधा चार विस्वा यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की हैं। आराजी संख्या 51 रकबा पौने तीन बीधा, आराजी संख्या 52 रकबा तीन बीधा, आराजी संख्या 99 रकबा पौने तीन बीधा तीन विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा साढे आठ बीधा तीन विस्वा यह भूमि प्रतिवादी संख्या 2 शमशाद बेगम के नाम पर दर्ज हैं। आराजी संख्या 50 रकबा सवा दो बीधा तीन विस्वा यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम पर उनके खातेदारी आधिपत्य की भूमि हैं। उक्त सारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 का अलग अलग व संयुक्त रूप से गिस्से अनुसार कब्जा हैं। उक्त भूमि में वादीगण का कोई कब्जा नहीं है, लेकिन वादीगण जबरदस्ती यह जानते हैं कि प्रतिवादीगण बाहर राजनगर रहते हैं और वे हमेशा चौबीस घंटे यहां नहीं रह सकते, इस कारण वे प्रतिवादीगण की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं और वे जबरन प्रतिवादीगण को बेदखल करने की धमकी देते हैं। ऐसी स्थिति में तत्काल वादीगण के विरुद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी कियार जाना नितान्त आवश्यक है, अन्यथा प्रतिवादीगण को वादीगण बेदखल कर देंगे, जिससे उन्हें भारी अपूरणीय क्षति है जिसकी पूर्ति अर्थ में या अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है, विवाद व मुकदमेबाजी बढ़ने की पूर्ण संभावना हैं। वाद हेतुक करीब 15 दिन होते हैं, वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को बेदखल करने की धमकी देने से उत्पन्न होता है जो अन्दर मियाद हैं। वादग्रस्त जायदाद न्यायालय आपके अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से यह काउण्टर क्लेम श्रीमान के समायत योग्य हैं। वाद (काउण्टर क्लेम) निषेधाज्ञा हेतु मूल्यांकन एक हजार रूपया कायम किया जाकर निश्चित न्याय शुल्क एक रूपये पर प्रस्तुत है। अतः वादी का वाद मय हर्जा खर्चा व विशेष हर्जा के खारिज फरमाया जावे व प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के विरुद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में इस आशय की निषेधत्मक निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि काउण्टर क्लेम में वर्णित भूमियों में वादीगण प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग आधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप बाधा उत्पन्न नहीं करें न उसे बेदखल करें। दौराने वाद कोई हस्तक्षेप अतिक्रमण कर ले तो आदेशात्मक निषेधाज्ञा के जरिये पूर्ववत स्थिति कायम करायी जावें, हर्जा खर्चा काउण्टर क्लेम व अन्य अनुतोष जो भी मिल सके दिलाया जावें।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा एवं वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार निम्न तनकियात विरचित की गयी:-1- आया आराजी संख्या 818/172 के स्थान पर आराजी संख्या 818/102 भूल से अंकन हो गया हैं।

जिम्मे- वादी

2 - आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी का नाम गलत अंकन हो गया हैं।

जिम्मे- वादी

3 - आया वादी का उक्त आराजी पर कब्जा प्रतिकुल धारण परिपक्व हो गया हैं।

जिम्मे- वादी

4 - आया प्रतिवादी संख्या 4 को किया गया विक्रय आरम्भवः शुन्य हैं।

जिम्मे- वादी

5 - आया प्रतिवादी जरिये काउण्टर क्लेम स्थाई निषेधाज्ञा की दाद नहीं मांग सकता हैं।

जिम्मे- वादी

6 - आया प्रतिवादी संख्या 1 लॉ ऑफ स्टोपिल से प्रतिबंधित हैं।

जिम्मे- वादी

7 - आया विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के कुदरती वली पिता मुन्नवर खॉ ने किया।

जिम्मे- वादी

8 - आया तथाकथित विक्रय की दिनांक को प्रतिवादी संख्या 1 नाबालिंग था।


5
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नेत्रमगण

- 9 - आया न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार नहीं हैं। जिम्मे- प्रतिवादी
- 10 - आया वाद मूल्यांकन कम आंका गया हैं। जिम्मे- प्रतिवादी
- 11 - आया आराजी संख्या 2 का रकबा काफी बडा हैं उसमें 99, 50, 52, 51 नम्बर भी आते हैं। जिम्मे- प्रतिवादी
- 12 - आया आराजी संख्या 2 मीन का कौनसा हिस्सा बेचा स्पष्ट नही होने वाद चल नहीं सकता हैं। जिम्मे- प्रतिवादी
- 13 - आया वादी जब तक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को बहैसियत खातेदार किये गये विक्रय पत्र को निरस्त न करा ले तब तक स्वत्व घोषणा नही हो सकती। जिम्मे- प्रतिवादी

14 - अनुतोष
वादीगण के दावे और प्रतिवादीगण के जवाबदावे के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न 13 तनकियात कायम की गयी। तनकी संख्या-1 से लगायत 7 वादीगण के जिम्मे एवं तनकी संख्या-8 से 13 प्रतिवादीगण के जिम्मे रखी गई। तनकी संख्या-1 के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही की गई न ही वादीगण ने उसमें कोई सुधार किया गया। तनकी संख्या-1 भी वादीगण के जिम्मे रखी गयी। तनकी संख्या-2 के सम्बन्ध में वादीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नही की गयी कि प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज हो गयी हो जबकि जो जमावंदी प्रदर्शित हुई है वह शुरू से प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज हैं। वादीगण के पक्ष में हो रखे विक्रय पत्र विधि के विपरीत होने से उनके नाम दर्ज नही हुयी। तनकी संख्या-2 वादीगण के जिम्मे रखी गयी। तनकी संख्या-3 के सम्बन्ध में न तो वादीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश कि न वादीगण का मौके पर कब्जा न ही प्रतिकूल कब्जे की धारणा के सम्बन्ध में दस्तावेजीय साक्ष्य पेश की न वादीगण का प्रतिकूल कब्जा है, तनकी संख्या-3 भी वादीगण के जिम्मे रखी गयी। तनकी संख्या-4 में प्रतिवादी संख्या-1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या-3 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र जिसका ऐसा कोई दस्तावेजीय साक्ष्य पेश नही की गयी कि किस प्रकार प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र अवैध है, प्रतिवादी संख्या-3 के पक्ष में हो रखे विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या-1 जो बालिंग हो गया और बतौर खातेदार विक्रय पत्र निष्पादित करने में सक्षम होने के आधार पर विधि अनुसार करवाया वादीगण ने उक्त विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवाया इसलिये तनकी संख्या-4 वादीगण साबित नही करवा पाये इसलिये यह तनकी भी वादीगण के जिम्मे रखी गयी हैं। तनकी संख्या-5 में वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही की गयी कि प्रतिवादीगण को प्रतिप वाद लाने का अधिकार नही हो जब कि वादग्रस्त कृषि आराजी आज भी प्रतिवादी के नाम दर्ज होकर बतौर खातेदारी काशतकार है इसलिए प्रतिप वाद पेश करने का अधिकार हैं। यह तनकी भी वादीगण के जिम्मे रखी गयी हैं। तनकी संख्या-6 वादीगण द्वारा न तो कोई साक्ष्य पेश किये गये न ही कोई दस्तावेजीय साक्ष्य पेश की गयी इसलिये तनकी संख्या-6 भी वादीगण की ओर से साबिक नही हो पाई जिससे तनकी संख्या-6 भी वादीगण के जिम्मे रखी गयी। तनकी संख्या-7 यह तनकी एक महत्वपूर्ण तनकी है। यह है कि आया विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या-1 कुदरती वली मुनवर खां ने किया है, यह तनकी इस वाद के लिये महत्वपूर्ण तनकी है, इस तनकी के सम्बन्ध में मुनवर खां द्वारा विक्रय पत्र पंजीयन कराया गया जिस सम्बन्ध में जिस समय विक्रय पत्र निष्पादित किया उस समय मुनवर खां खातेदार काशतकार नही था और नाबालिंग के

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

खातेदारी की जमीन मुनवर खां को विक्रय कर पंजीयन कराने का अधिकार नहीं था न ही ऐसा विधि में प्रावधान है। यदि मुनवर खां को विक्रय पत्र का पंजीयन कराना था तो उसे सिविल न्यायालय से विक्रय पत्र पंजीयन कराने से पहले स्वीकृति लेना आवश्यक था लेकिन जो विक्रय पत्र निष्पादित किया है जिसमें सिविल न्यायालय की स्वीकृति नहीं है, विक्रय पत्र पंजीयन की भी कुछ शर्तें होती हैं उसका भी तथाकथित विक्रय पत्र में उल्लेख नहीं है कि विक्रय पत्र निष्पादित क्यों किया जा रहा है, इसलिए यह विक्रय पत्र विधि विरुद्ध होकर कानून के विपरित है इसलिये ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। विक्रय पत्र के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 ने विक्रय पत्र निष्पादित एवं पंजीकृत नहीं करवाया है, यह विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या-1 के मुकाबले शुन्य है विक्रय पत्र के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 ने विक्रय पत्र निष्पादित एवं पंजीकृत नहीं करवाया है, यह विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या-1 के मुकाबले अवैध है। इस सम्बन्ध में पीडब्ल्यू-01 छोगालाल ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि साबिक आराजी संख्या 2 का रकबा लम्बा चौड़ा है जो लगभग 200-300 बीघा है, और प्रतिवादी ने यह भी बताया की इसके कितने नम्बर बने में नहीं बता सकता, सन 1969 में अब्दुल मजिद नाबालिंग था, अब्दुल मजिद ने मुझे कोई जमीन नहीं बेची वर्तमान में वादग्रस्त जमीन प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम पर दर्ज है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या-1 की जमीन का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या -1 ने नहीं करवाया है। इसलिये तनकी संख्या-8 को साबिक करने का भार प्रतिवादी पर था, लेकिन प्रतिवादीगण ने इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज प्रदर्श-ए 01 पेश हुआ है जो जन्म तिथी प्रमाण पत्र पेश कर यह साबिक कराया कि वर्ष 1969 में प्रतिवादी संख्या-1 की आयु 8 साल का नाबालिंग थी, उक्त तनकी प्रतिवादीगण ने दस्तावेजीय साक्ष्य से साबिक कराई है। इस दस्तावेज के खण्डन में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है न ही ऐसी कोई साक्ष्य पेश की है ऐसी स्थिति में तनकी संख्या-8 पूर्ण रूप से अपने पक्ष में साबिक करायी है। तनकी संख्या-9 व 10 में भी प्रतिवादी ने यह तथ्य लिया है कि वादीगण ने वाद मुल्यांकन कम कायम किया है एवं आप न्यायालय के सुनवाई अधिकारिता का नहीं है इस सम्बन्ध में वादीगण जब तक प्रतिवादी संख्या-3 के पक्ष में हो रखे विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा देता तब तक यह धोषणा का वाद पोषणिय नहीं हैं। तनकी संख्या-11 के सम्बन्ध में वादीगण की साक्ष्य से ही प्रतिवादीगण ने यह साबिक कराया है कि साबिक आराजी संख्या -2 मीन रकबा काफी लम्बा चौड़ा है और जिसके कई नम्बर बने हैं। यह वादीगण की साक्ष्य से साबिक हैं। इस सम्बन्ध में पीडब्ल्यू-1 छोगालाल ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि यह सही है कि साबिक आराजी नम्बर 2 का रकबा लम्बा चौड़ा है जो लगभग 200-300 बीघा का है। यह तनकी प्रतिवादीगण अपने जिम्मे साबिक करने में सफल रहे हैं। तनकी संख्या -12 में भी साबिक आराजी संख्या-2 मीन का कौनसा हिस्सा बेचा उस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी इसलिये यह तनकी भी प्रतिवादीगण ने स्पष्ट अपने जिम्मे साबिक कराई हैं। यह तनकी भी प्रतिवादीगण के जिम्मे रखी गयी हैं। तनकी संख्या-13 के सम्बन्ध में यह है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या-1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या- के पक्ष में निष्पादित कराया गया है, इस विक्रय पत्र को वादीगण द्वारा सिविल न्यायालय से जब तक निरस्त नहीं करा दे तब तक यह वाद पोषणिय नहीं हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण के जिम्मे तनकियों को प्रतिवादीगण ने साबिक कराई है और वादीगण के जिम्मे की किसी भी तनकी को दस्तावेजीय साक्ष्य से साबिक नहीं करवाया है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद निरस्त होने योग्य हैं। वादीगण के पक्ष में हो रखे विक्रय पत्र शुरू से अवैध व शुन्य एवं विधि के विपरित होने से वर्ष 1969 से आज दिनांक तक उनके नाम पर दर्ज नहीं हुई हैं। शुरू से आज दिन तक वादग्रस्त कृषि आराजी के स्वामित्व आधिपत्यधारी प्रतिवादीगण ही होकर वही उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। जिस समय विक्रय पत्र निष्पादित हुआ उस समय प्रतिवादी संख्या-1



 सहायक कलक्टर
 (उप खण्ड अधिकारी)
 नेमसगरा

नाबालिग था यह तथ्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दस्तावेजीय साक्ष्य से साबिक हुआ है। इस प्रकरण के सम्बन्ध यह साबिक होता है कि दस्तावेजीय साक्ष्य के आधार पर वादीगण का यह वाद पोषणिय नही होने से खारिज होने योग्य हैं। अतः वादीगण का वाद गलत तथ्यों के आधार पर होने एवं वास्तविक तथ्य छुपाते हुए पेश किया है इसलिये उक्त वाद पोषणिय नही होने के आधार पर सव्यय निरस्त होने योग्य हैं।

: : आदेश : :

न्यायालय की विनम्र मत में वादी ने एक तरफ प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादग्रस्त भूमियों में घोषणा एवं राजस्व अभिलेखों में अंकन कराया जाना चाहा गया है, दुसरी तरफ सहमति पत्र के आधार पर वाद में अनुतोष चाहा गया जो दोनों परसपर विरोधि अभिवचन किये गये है वाद पत्र में वर्णित भूमि पर वादी का प्रतिकूल कब्जा है जो सहमति पत्र से साबित नही होती है परसपर सहमति पत्र के आधार पर वादी को सिविल न्यायालय में सविदा की पालना हेतु वाद पत्र प्रस्तुत का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता था लेकिन सहमति अनुबंध के आधार पर राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है इसी सहमति के आधार पर किसी प्रकार का विरोधाभासी अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के द्वारा साक्ष्य के अभाव में एवं क्षेत्राधिकार के अभाव में वादी का वाद बाबत् स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं राजस्व अभिलेख में अंकन कराये जाने का अस्वीकार कर खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया


(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक अधिकारी
(उप खेसत अधिकारी)
रेलमगरा

(मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी :- बिन्दू बाला राजावत आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :-312/2010

दायर दिनांक :-17/02/2010

निर्णय दिनांक :-30/03/2026

अनवान्

1. छोगालाल पिता कालु जाट निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
2. उदयराम पिता घलाजी जाट निवासी माताजी का खेडा तहसील रेलमगरा
वादी

बनाम

1. अब्दुल मजीद उर्फ अब्दुल समर आत्मज मुनव्वर खांजी मुसलमान पठान निवासी राजनगर
तहसील राजसमन्द
2. शमशाद बेगम पत्नि मुनव्वर खांजी मुसलमान पठान निवासी राजनगर तहसील राजसमन्द
के बजाय
2/1 मनोहर खा उर्फ मुनव्वर खां मुसलमान पठान
2/2 अब्दुल समद उर्फ अब्दुल मजीद उर्फ बेहराम खान मुसलमान पठान
2/3 अखलाख खान पिता मुनव्वर खां मुसलमान पठान
2/4 शब्बीर खा पिता मुनव्वर खां मुसलमान पठान
2/5 शमीम बेगम पिता मुनव्वर खां मुसलमान पठान
2/6 शकीला बेगम पिता मुनव्वर खां मुसलमान पठान
2/7 शहनाज बेगम पिता मुनव्वर खां मुसलमान पठान
2/8 साईन बेगम पिता मुनव्वर खां मुसलमान पठान
3. बशीर खां पिता मीर खां उर्फ भुरे खां मुसलमान
4. महेश चंद्र पिता मगनीराम ब्राह्मण मेनारीया निवासी पिपावास के बजाय
4/1 सुरेश चंद्र पिता महेश चंद्र ब्राह्मण मेनारीया
4/2 बसन्तीबाई पति महेश चंद्र ब्राह्मण मेनारीया
4/3 बितल पिता महेश चंद्र ब्राह्मण मेनारीया
4/4 जगु पिता महेश चंद्र ब्राह्मण मेनारीया
4/5 टीना पिता महेश चंद्र ब्राह्मण मेनारीया


प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

वादी की ओर से -एस0 के0 मेहता,अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से -अक्षय पालीवाल,अधिवक्ता

दिनांक:- 30/03/2026



सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वाद स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं राजस्व अभिलेख में अंकन कराये जाने

— :: निर्णय :: —

न्यायालय की विनम्र मत में वादी ने एक तरफ प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादग्रस्त भूमियों में घोषणा एवं राजस्व अभिलेखों में अंकन कराया जाना चाहा गया है, दुसरी तरफ सहमति पत्र के आधार पर वाद में अनुतोष चाहा गया जो दोनो परसपर विरोधि अभिवचन किये गये है वाद पत्र में वर्णित भूमि पर वादी का प्रतिकूल कब्जा है जो सहमति पत्र से साबित नहीं होती है परसपर सहमति पत्र के आधार पर वादी को सिविल न्यायालय में संविदा की पालना हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता था लेकिन सहमति अनुबंध के आधार पर राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं इसी सहमति के आधार पर किसी प्रकार का विरोधाभासी अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के द्वारा साक्ष्य के अभाव में एवं क्षेत्राधिकार के अभाव में वादी का वाद बाबत् स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं राजस्व अभिलेख में अंकन कराये जाने का अस्वीकार कर खारिज किया जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ़तर दाखिल हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया


(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा